



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271632
CG-DL-E-08042026-271632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1712]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1712]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1780(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4268 तारीख 22/09/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में NH117 के कि.मी. 0.145 से कि.मी.7.337 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरणे / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 10/10/2025 को "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" दिनांक: 10/10/2025 और बंगाली में "एई समय" दिनांक: 10/10/2025" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में NH117 के कि.मी. 0.145 से कि.मी.7.337 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: हावड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हावड़ा टाउन सर्वे					
गांव का नाम: शिवपुर (जे.एल. नं- 1)					
1	आर्.एँस् 13 (शीट - 54)	निजी (वास्तु)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0053015	मोहित अली नसकर
2	आर्.एँस् 13 (शीट - 54)	निजी (वास्तु)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0053015	ओस्मान अली नसकर
3	आर्.एँस् 13 (शीट - 54)	निजी (वास्तु)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0053015	इद्रिस अली नसकर
4	आर्.एँस् 13 (शीट - 54)	निजी (वास्तु)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0053015	कोरबन अली नसकर
5	आर्.एँस् 13 (शीट - 54)	निजी (वास्तु)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0053015	मोकसाद अली नसकर
6	आर्.एँस् 13 (शीट - 54)	निजी (वास्तु)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0053015	वाजेद अली नसकर
7	आर्.एँस् 13 (शीट - 54)	निजी (वास्तु)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0045326	इमारुन बीबी
8	आर्.एँस्. 181 (शीट- 44)	निजी (Viti)	नाँन-एग्रीकल्चर	0.0142857	गिरीश चंद्र देय
Total				0.0506273	

[फा. सं. NHAI/PIU-KOL/Kona Expressway/NH-117/Vol-03/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

S.O. 1780(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4268 Dated:22/09/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH117 in the stretch of land from Km. 0.145 to Km. 7.337 in the district of HOWRAH in the state of WEST BENGAL;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 10/10/2025 and in Bengali “Eisamay” dated 10/10/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH117 in the stretch of land from Km. 0.145 to Km. 7.337 in the district of HOWRAH in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			District: HOWRAH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Howrah Town Survey					
Village: Sibpur (JL. No. 1)					
1	R S 13 (Sheet - 54)	Private (Bastu)	Non-Agriculture	0.0053015	Mohit Ali Naskar
2	R S 13 (Sheet - 54)	Private (Bastu)	Non-Agriculture	0.0053015	Osman Ali Naskar
3	R S 13 (Sheet - 54)	Private (Bastu)	Non-Agriculture	0.0053015	Idris Ali Naskar
4	R S 13 (Sheet - 54)	Private (Bastu)	Non-Agriculture	0.0053015	Korban Ali Naskar
5	R S 13 (Sheet - 54)	Private (Bastu)	Non-Agriculture	0.0053015	Moksad Ali Naskar
6	R S 13 (Sheet - 54)	Private (Bastu)	Non-Agriculture	0.0053015	Wajed Ali Naskar
7	R S 13 (Sheet - 54)	Private (Bastu)	Non-Agriculture	0.0045326	Imarun Bibi
8	R.S. 181 (Sheet- 44)	Private (Viti)	Non-agriculture	0.0142857	Girish Chandra Dey
Total				0.0506273	

[F. No. NHAI/PIU-KOL/Kona Expressway/NH-117/Vol-03/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director